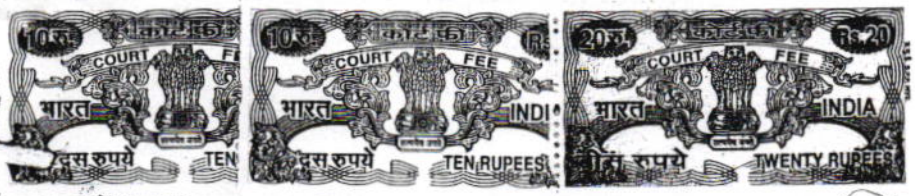

समक्ष : न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर

प्र.कं. –I/2016/निगरानी

1–रमेश पुत्र हरनारायण गुर्जर निवासी ग्राम फतेहपुर तह. व जिला श्योपुर

2–जगन्नाथ पुत्र मांगीलाल कलार निवासी ग्राम जानपुरा तह. व जिला श्योपुर म.प्र.

.....निगरानीकर्तागण

बनाम

म.प्र.शासन

.....गैरनिगरानीकर्ता

द्वारा आज दि. 20.7.16 को प्रस्तुत

क्लर्क 20/7/16 राजस्व मण्डल म.प्र ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत म.प्र.भू.रा.सं.1959 की धारा–50 विरूद्व न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर के प्र.कं. 02/10–11/170ख में पारित आदेश दिनांक 06.07.2016

माननीय न्यायालय,

निगरानीकर्तागण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य :–

यह कि ग्राम मयापुर की भूमि सर्वे 190/5ग/1 रकबा 2.038हे., आवेदक कं. 01 रमेश तथा सर्वे कं. 190/5घ रकबा 2.090 हे. आवेदक कं. 02 जगन्नाथ के नाम विधिवत राजस्व अभिलेख खसरा पंचशाला में भूदान भूस्वामी के रूप में दर्ज होकर आवेदक जगन्नाथ ने उक्त भूमि पर कृषि कार्य हेतु के.सी.सी.भी बना रखी है। दोनो आवेदकगण अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर खेती करते आ रहे है और मौके पर काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदकगण की उक्त भूमि को प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 06.07.16 से नियम प्रकिया के विपरीत हरदेव पुत्र खेत्या सहर के नाम दर्ज करने के आदेश देते हुए आवेदकगण का नाम खसरे से विलोपित करने के आदेश म.प्र.भू.रा.सं.1959 की धारा 170ख के तहत दिये है, जबकि विचारणीय प्रकरण में धारा–170ख के प्रावधान लागू नहीं होते है, क्योकि आवेदकगणों ने भूमि अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति से प्राप्त नहीं की है, बल्कि शासन से प्राप्त की हैं। जिस व्यक्ति के नाम भूमि दर्ज करने के आदेश दिये है उक्त व्यक्ति का भूदान पट्टा पूर्व में ही न्यायालयीन आदेश से वर्ष 1996 में ही निरस्त हो चुका था अर्थात भूमि शासकीय हो गई थी, जिसके बाद शासन से आवेदकगणों ने भूमि प्राप्त की है, इसलिये धारा–170ख के प्रावधान लागू नहीं होते

कमंश:.....2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2378/एक/2016 जिला–श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
16-8-16	यह निगरानी आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 02/2010–11/170 में पारित आदेश दिनांक 06.07.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि ग्राम मायापुर की भूमि सर्वे क्रमांक 190/5ग/1 रकवा 2.038 है0 आवेदक, क्रमांक 1 रमेश तथा सर्वे क्रमांक 190/5घ रकवा 2.090 है0 आवेदक क्रमांक 2 जगन्नाथ के नाम राजस्व अभिलेख खसरा पंचशाला में भूदान भूमि स्वामी में दर्ज है। आवेदकगण द्वारा उक्त कृषि भूमि पर कृषि कार्य हेतु के.सी.सी बना रखी है दोनो आवेदकगण अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर खेती करते आ रहे है और मौके पर काबिज है अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदकगण की उक्त भूमि को प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 06.07.2016 से हरदेव पुत्र खेत्या सहर के नाम दर्ज करने का आदेश देते हुये आवेदकगण का नाम खसरे	

से विलोपित करने के आदेश संहिता की धारा 170ख के तहत् दिये है। जबकि आवेदकगण ने भूमि अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति से प्राप्त नहीं की बल्कि शासन से प्राप्त की है। जिस व्यक्ति के नाम भूमि दर्ज किये जाने के आदेश दिये है उक्त व्यक्ति का भू-दान पट्टा पूर्व में ही न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण में पारित आदेश से वर्ष 1996 में ही निरस्त कर दिया है अर्थात् भूमि शासकीय हो गयी है जिसके बाद शासन से आवेदकगण ने भूमि प्राप्त की है इसलिये धारा 170 ख के प्रावधान लागू नहीं होते इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

3- निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा आवेदक की आरे से उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

4- आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व इस तथ्य की जॉच नहीं की गयी। कि उनके द्वारा जिस व्यक्ति का नाम पूर्ववत् दर्ज किये जाने के आदेश दिये है उसका भूदान पट्टा अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण क्रमांक 55/95-96/अ-86 एवं 59/95-96/अ-86 से निरस्त होकर भूमि शासकीय की गयी है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त भूमि अनुसूचित जनजाति की

व्यक्ति की भूमि न होकर शासन की सम्पत्ति हो जाती है। ऐसे में उक्त भूमि को हरदेव पुत्र खेत्या सहर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि मानकर आलोच्य आदेश पारित करना विधि विधान के विपरीत है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह भी बताया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा शासन की ओर से पट्टो की शर्तो के उल्लंघन से भूदान धारक हरदेव पुत्र खेत्या का पट्टा निरस्त किया और उसी न्यायालय द्वारा अपने ही न्यायालीन आदेश को अवैध मानकर 20 वर्ष बाद भूमि भूदान पट्टा प्राप्त करने वाले हरदेव पुत्र खेत्या के नाम पूववत् दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया है, जो विधि विपरीत है। ऐसी स्थिति में निगरानी स्वीकार किये जाने एवं अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5– म.प्र. शासन की ओर से उपस्थित शासकीय अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में बताया कि अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर द्वारा प्रकरण में जो आदेश पारित किया गया है वह विधिवत् एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया।

6– उभय पक्षों के अभिभाषको द्वारा किये गये तर्को एवं उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी

श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 55/95-96/अ-86 एवं 59/95-96/अ-86 में पारित आदेश दिनांक क्रमशः 27.07.1996 एवं 31.01.1996 से हरदेव पुत्र खेत्या का भूदान पट्टा निरस्त किया गया है। और भूमि शासकीय दर्ज किये जाने का आदेश हुआ है तत्पश्चात् पारित आदेश दिनांक 06.07.2016 में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भूमि हरदेव पुत्र खेत्या के नाम पूर्ववत् दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया है। उपरोक्त दोनो आदेश एक दूसरे के विपरीत है जहॉ तक संहिता की धारा 170 ख का प्रश्न है तो वह इस प्रकरण में लागू नहीं होते क्योंकि आदेश दिनांक 27.07.1996 एवं 31.01.1996 से भूदान पट्टा निरस्त होने के पश्चात् भूमि शासकीय हो गयी थी। भूमि शासकीय हो जाने के पश्चात् अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि न रहकर शासन की सम्पत्ति हो गयी है ऐसी स्थिति में हरदेव पुत्र खेत्या सहर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि मानकर जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर द्वारा पारित किया गया है वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7- उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 02/2010-11/170ख में पारित आदेश दिनांक 06.07.2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं ग्राम मयापुर

की भूमि सर्वे क्रमांक 190/5ग/1 रकवा 9 बीघा 15 विस्वा आवेदक क्रमांक 1 रमेश एवं भूमि सर्वे क्रमांक 190/5घ रकवा 10 बीघा आवेदक क्रमांक 2 जगन्नाथ के नाम पूर्ववत् राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार श्योपुर को दिये जाते है इसी निर्देश के साथ वर्तमान प्रकरण समाप्त किया जाता है।

सदस्य